न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 193 / 2023

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

भारमलराम पुत्र पूराराम, वयस्क जातियान जाट निवासी झटकानी नाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1 लुम्बाराम पुत्र पूराराम, वयस्क 2 कस्तू पत्नि पूराराम (फौत के कायम मुकाम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3) 3. अणदाराम पुत्र पूराराम, वयस्क जातियान कलबी निवासी नादिया तहसील बागोड़ा जिला सांचोर 4. बालाराम चौधरी पुत्र चैनाराम, वयस्क जाति कलबी निवासी नया चेनपुरा तहसील बागोड़ा जिला सांचोर 5. पुनमाराम पुत्र सवाराम, वयस्क 6. गणेशाराम पुत्र सवाराम, वयस्क 7 कनकोदेवी पत्नि बाबूराम, वयस्क 8. हासीदेवी पत्नि चिमनाराम, वयस्क 9. गजरोदेवी पत्नि गेनाराम, वयस्क 10. धनाराम पुत्र गेनाराम, वयस्क 11. मेहरामाराम पुत्र गेनाराम, वयस्क 12 महादेवाराम पुत्र गेनाराम, वयस्क जातियान कलबी निवासी नादिया तहसील बागोड़ा जिला सांचोर 13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,5,6 व 9 से 12 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 13 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 25.06.2025

संक्षेप में आवेदन [illegible] वकील प्रार्थी श्री चिमनसिंह चौधरी द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी सरहद मौजा झटकाणी नाडी के खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 14.2384 हैक्टेयर का आया हुआ है। कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी की है। जिसमें जिसमें प्रार्थी का 1/110 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 3 का 1/110 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 1/10 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 5 से 6 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 7 से 8 प्रत्येक का 1/11–1/11 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 9 से 12 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा खातेदारी का इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथामौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी सरहद मौजा झटकाणी नाडी के खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 14.2384 हैक्टेयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाये।

इसके विपरित वकील विप्रार्थीगण सं. 1,5,6 व 9 से 12 की बहस है कि पक्षकारान मौके पर अपने–बाहमी बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है, जिसमें पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजित नहीं होने तक दोनों पक्षों को जरिये स्थगन के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण व अन्य विप्रार्थीगण मौके पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है त[illegible] का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर [illegible] तो उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत [illegible]वाई के किया जाना है। जहां प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि [illegible] विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्वोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा उभयपक्ष को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी सरहद मौजा झटकाणी नाडी के खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 14.2384 हैक्टेयर के पक्षकारान के अपने–अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner